



196

303

न्यायालय श्रीमान् मोप्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर

R830/-

सर्किट कोर्ट रीवा (मोप्र०)

ग्रा/भ०/१०/८३०/शु-३६८३

विनाम् विश्वकर्मा डारा  
१०१७

- 1- सुखीनंद पिता रामकिशोर विश्वकर्मा, उम्र 48 वर्ष  
 2- मंगलदीन पिता गंगादीन विश्वकर्मा, उम्र 65 वर्ष  
 निवासी ग्राम रगौली डिहा टोला, तहसील सेमरिया, जिला रीवा  
 (मोप्र०) ————— आवेदकगण / निगरानीकर्ता  
 बनाम

- ✓ 1- रामनरेश पिता यज्ञनारायण ब्रा०,  
 2- जगदीश प्रसाद पिता चन्द्रभानराम ब्रा०  
 ✓ 3- लक्ष्मण प्रसाद पिता यज्ञनारायण ब्रा०  
 4- दशरथ पिता मुण्डूराम ब्रा०,  
 5- मुस० सखिया वैवा रामकुमार ब्रा०  
 6- दुर्गा प्रसाद पिता रामकुमार ब्रा०  
 7- रामानंद पिता बाला प्रसाद ब्रा०  
 8- रामपाल पिता लल्लाराम ब्रा०  
 9- रामविश्वास पिता सुदर्शनराम ब्रा०  
 10- राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद ब्रा०  
 सभी निवासी ग्राम रगौली डिहा टोला, तहसील सेमरिया, जिला  
 रीवा (मोप्र०) ————— अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण  
 निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्  
 तहसीलदार महोदय, तहसील सेमरिया, जिला  
 रीवा मोप्र०, के राजस्व प्रकरण क०-११९/  
 अ-२७/१३-१४ में पारित आदेश दिनांक

07/09/2017निगरानी अंतर्गत धारा 50 मोप्र० भू राजस्व  
सहिता

मान्यवर,

मंगलदीन विश्वकर्मा

अट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक III / निग 0 / रीवा / भू-रा 0 / 2017 / 03683

जिला—रीवा

सुखीनन्द विश्वकर्मा / रामनरेश ब्राह्म

(1)

(2)

(3)

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार सिंह तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 119/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपरित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

(बी.एम.शर्मा),

सदस्य